कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / **दिनांक–**

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत्, सुगौली
जिला– पूर्वी चम्पारण

महाशय,

नगर पंचायत, सुगौली के वर्ष 2013–14 से 2015–16 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 270 / 16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

–ह0–
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14597 / 232 **दिनांक–** 17/10/2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण

17/10/16
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

नगर पंचायत, सुगौली

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 270/16–17

अवधि 2013–14 से 2015–16

1. **प्रस्तावना –**

नगर पंचायत, सुगौली के वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, बिहार, पटना के लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 26.05.16 से 01.06.16 के दौरान किया गया।

2. **प्रशासन**

(क) सभापति

कम सं0	नाम	अवधि
1.	श्रीमती नसीमा खातून	2013–14 से 2015–16

(ख) उप–सभापति

कम सं0	नाम	अवधि
1.	श्री जितेंद्र कुमार सिंह	2013–14 से 2015–16

(ग) कार्यपालक पदाधिकारी

कम सं0	नम	अवधि
1.	श्री राजेश्वर प्रसाद	1.4.13 से 9.5.13
2.	श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह	9.5.13 से 5.8.13
3.	श्री धर्मेंद्र कुमार	5.8.13 से 14.2.14
4.	श्री अमित कुमार	14.2.14 से 4.3.14
5.	श्री आशीष कुमार सिन्हा	4.3.14 से 29.9.14
6.	श्री विजयन्त	29.9.14 से 7.9.15
7.	श्री अरूण कुमार सिंह	7.9.15 से 31.3.16

3. **लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र**

लेखा परीक्षा द्वारा जॉच किए गए अभिलेखों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट– I पर तथा वैसे अभिलेख जो असंधारित थे या लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए थे, सूची परिशिष्ट– II पर स्थित है।

4. **पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लंबित कंडिकाओं का अनुपालन**

सुगौली नगर पंचायत के वर्ष 2015–16 के पूर्व कराये गये अंकेक्षण से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवदेन में लंबित कंडिकाओ के अनुपालन से संबधित अभिलेखो एवं कागजातों को आवश्यक जॉच हेतु

अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे निस्तारण के योग्य लंबित कंडिकाओ का निरस्तीकरण/निराकरण नहीं किया जा सका।

लंबित कंडिकाओ को अनुपालन नही किए जाने की दशा में लेखापरीक्षा का उद्येश्य निष्फल हो जाता है।

आपत्ति के जवाब में कहा गया कि अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर अंकेक्षण कार्यालय को भेज दिया जाएगा। अतः यथाशीघ्र लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर अंकेक्षण कार्यालय को प्रेषित किया जाय।

5. लेखापरीक्षा की प्रमुख उपलब्धियॉ

कम सं0	कंडिका सं0	खंड /भाग	कंडिका का सार	राशि (रू0)
1	3 (क)	2/ख	जीप, मोटर भारी वाहन पार्किंग की बंदोबस्ती में अनियमितताएँ	13.35 लाख
2	5(क)	2/ख	यो0 सं0 18/15–16 (च0रा0वि0आ0) के कियान्वयन में अनियमितताएँ	7.48 लाख
3	6	2/ख	मोबाइल टावर पर बकाया राशि	25.80 लाख

6. वित्तीय संव्यवहार

सामान्य रोकड़ बही के प्रविष्टियों के अनुसार वर्ष 2013–14 से 2015–16 की अवधि में आय– व्यय निम्न प्रकार थाः–Type equation here.

कम सं0	विवरण	2013–14	2014–15	2015–16
1	प्रा0 शेष	37932187.00	49505808.00	57777052.95
2	वर्ष की प्राप्तियाँ	39298693.00	36072327.00	36855057.00
3	कुल योग	77230880.00	85578135.00	94632109.95
4	व्यय	27725072.00	27801082.05	37700751.06
5	अन्तशेष	49505808.00	57777052.95	56931358.89
6	वैंक खाताओं का अंतशेष			58750318.49
7	अन्तर			1818959.60

नगर पंचायत द्वारा संधारित रोकड़ बही में निम्नलिखित त्रुटियाँ पायी गयीः–

1. सामान्य रोकड़ बही दिनांक 10.3.16 तक ही संधारित था, जिसके कारण दिनांक 31.3.16 को रोकड़ बही का अंतशेष पता नहीं चल सका। नियमानुसार रोकड़ बही प्रतिदिन लिखा जाना चाहिए एवं इस पर कार्यपालक पदाधिकारी का हस्ताक्षर लिया जाना चाहिए।
2. आय– व्यय–व्यय पक्ष का वर्गीकरण नहीं किया गया था।
3. आय पक्ष में प्राप्तियों के विरूद्ध मद नहीं दर्शाया गया एवं किस तरह की प्राप्ति थी यह स्पष्ट नहीं किया गया।
4. दैनिक योग, त्रैमासिक योग, दैनिक अन्तशेष एवं वार्षिक विवरणी तैयार नहीं किया गया।

5. योग एवं शेष के आंकड़े को नियमित रूप से नहीं किया गया।
6. वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार नहीं किया गया ।
7. बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं किया गया।

आपत्ति के जवाब में कहा गया कि अंकेक्षण में सुझाए गए बिन्दुओं का भविष्य में ध्यान रखा जाएगा। अतः रोकड़ बही का संधारण नियमानुसार किया जाय एवं अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

7. अन्तशेष

31.03.16 को बैंक खाताओं के अन्तशेष की विवरणी

क्रमांक	बैंक का नाम	मद	अन्तशेष
1	कोषागार (5.6.14 तक)		32090548.00
2	पी0एन0 बी0 / 0859000100080845	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	468142.47
3	पी0एन0 बी0 / 085900010017620	13वीं वित आयोग	10550874.32
4	पी0एन0 बी0 / 0859000100237997	स्वचछ भारत मिशन	5106730.00
5	पी0एन0 बी0 / 0859000100176748	मुख्यमंत्री नगर विकास योजना	71211.97
6	पी0एन0 बी0 / 0859000100176739	स्थापना	147210.92
7	पी0एन0 बी0 / 0859000100176775	अन्य मद	3415382.00
8	पी0एन0 बी0 / 0859000100176784	बी0आर0जी0एफ0	3209939.92
9	पी0एन0 बी0 / 0859000100176766	नगर प्रबंधक	50310.47
10	यू0बी0जी0बी0 / 5369		250697.00
11	बी0ओ0आइ0 / 444710100002099		9716.00
12	यू0बी0जी0बी0 / 7127	मुख्यमंत्री नगर विकास योजना	696069.00
13	यू0बी0जी0बी0 / 6649	बी0आर0जी0एफ0	5961.00
14	सी 0 के0जी0बी0 / 1002561010000865	एन0एस0डी0पी0	38923.00
15	यू0बी0जी0बी0 / 1002561010003011	आइ0डी0एस0एम0टी0	193074.00
16	यू0बी0जी0बी0 / 1002561010004401		2204066.00
17	पी0एन0 बी0 / 0859000100176757	गृहकर	241462.42
कुल योग :–			58750318.49

8. (क) बजट

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 82 से 85 में नगरपालिका का बजट बनाने, उसकी मंजूरी तथा बजट अनुदान में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसके अनुसार प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को अथवा तत्पश्चात यथासम्भव शीघ्र बजट प्राक्कलन नगरपालिका के समक्ष प्रस्तुत करना है। नगर विकास बजट प्राक्कलन और इस पर सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा यदि कोई हो पर विचार करेगी तथा प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक ऐसे परिवर्तनों के साथ आगामी वर्ष का बजट अंगीकार करेगी जैसा वह आवश्यक समझे और इस प्रकार अंगीकृत बजट राज्य सरकार को भेजेगी। उपरोक्त उपधारा के अधीन

प्राप्त बजट प्राक्कलन राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के सम्बद्ध उपबन्धों में परिवर्तन के साथ अथवा बिना परिवर्तन के उस वर्ष के मार्च की 31 तारीख के पूर्व नगर निकाय को लौटा देगी।

परन्तु, नगर पंचायत सुगौली में वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं वर्ष 2015–16 में बजट नहीं बनाया गया।

आपति के जवाब में कहा गया कि वर्ष 2016–17 से बजट बनाया जा रहा है ।

(ख) वार्षिक लेखा का संधारण नहीं

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 86 एवं 88 में क्रमशः लेखा संधारण तथा वित्तीय विवरण तैयार करने का प्रावधान किया गया है। धारा 88 के अनुसार वित्तीय वर्ष समाप्ति के चार माह के अन्दर एक वित्तीय विवरण तैयार करना है जिसमें नगरपालिका लेखा की मदें पूर्ववर्ती वर्ष का आय– व्यय का लेखा तथा प्राप्तियों एवं अदायगियों को अन्तर्विष्ट करना है। इसके अतिरिक्त बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 120 के अन्तर्गत प्राप्ति एवं भुगतान का मासिक विवरण भी बी.एम.आर. प्रपत्र–71 में तैयार करना है तथा नियम 122 के तहत प्राप्ति एवं भुगतान लेखा बी.एम.आर प्रपत्र–71, आय तथा व्यय विवरण बी.एम.आर. प्रपत्र 73 एवं आर्थिक चिटठा बी.एम.आर. प्रपत्र– 74 में संधारित करना है, परन्तु नगर परिषद द्वारा न तो वार्षिक लेखा का संधारण किया गया था और न ही लेखा नियमावली के अनुसार कोई विवरण ही तैयार किया गया था।

आपति के जवाब में कहा गया कि वार्षिक लेखा का संधारण कर लिया जाएगा। अतः वार्षिक लेखा का संधारण यथाशीघ्र किया जाय एवं इसकी सूचना अंकेक्षण कार्यालय को दी जाय।

भाग– II

खंड– क

कंडिका 1 कम/नहीं जमा (₹19.15 लाख)

नगर पंचायत, सुगौली के लेखा परीक्षा के दौरान जॉच में पाया गया कि एम0आर0 से कुल ₹3436244.00 की वसूली किया गया। परंतु प्रधान सहायक सह रोकड़पाल के द्वारा संबंधित शीर्ष में मात्र ₹ 1521280.00 ही जमा किया गया। इस प्रकार कुल ₹1914964.00 (3436244– 1521280) कम जमा किया गया। वसूली गयी राशि का विवरण निम्न है–

कम सं0	रशीदों की सं0	दिनांक	राशि
1	1651–1700	8.4.13 से 30.4.13	113534.00
2	1901–2000	4.5.13	1000.00
3	1865–1900	6.6.13 से 2.6.14	427642.00
4	1–100	19.6.14 से 10.12.15	2149171.00
5	201–300	21.03.15 से 26.03.16	37763.00
6	101–119	13.01.16 से 16.5.16	707134.00
कुल			3436244.00

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– V पर संलग्न)

इस प्रकार कुल ₹ 1914964.00 जमा नहीं कराया गया था।

आपति के जवाब में कहा गया कि जॉचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अतः नहीं जमा/कम जमा की राशि कुल ₹ 1914964.00 को अविलंब संबंधित व्यक्तियों से वसूल कर संबंधित निधि में जमा किया जाय।

भाग– II
खंड– ख

कंडिका 2 कम/नहीं जमा (रू0 0.87 लाख)

नगर परिषद सुगौली के लेखा परीक्षा के दौरान एच0आर0 रसीदों की जॉच में पाया गया कि टैक्स कलेक्टर श्री ललन कुमार के द्वारा एच0आर0 से कुल ₹ 1167952.00 की वसूली की गयी। परन्तु टैक्स कलेक्टर के द्वारा मात्र ₹ 1150750.00 ही जमा किया गया। इस प्रकार कुल ₹ 17202.00 (1167952– 1150750) कम जमा किया गया।

पुनः टैक्स कलेक्टर श्री मनोज कुमार के द्वारा एच0 आर0 संख्या 10001 से 10086 तक रशीदों से कुल ₹ 93251.00 की वसूली की गयी परंतु संबंधित शीर्ष में मात्र रू0 23500.00 ही जमा किया गया। इस प्रकार कुल ₹ 69751.00 (93251– 23500) कम जमा किया गया।

आपति के जवाब में कहा गया कि कम जमा की गयी राशि को जमा करा दिया जाएगा। अतः ₹86953.00 (17202+ 69751) की राशि संबंधित जिम्मेवार व्यकितयों से वसूलनीय है।

कंडिका 3(क) जीप मोटर वाहन भारी वाहन पार्किंग की बंदोबस्ती में अनियमितताएँ

नगर पंचायत सुगौली के भारी वाहन पार्किंग बंदोबस्ती संचिका के जॉच में पाया गया कि नगर पंचायत के अंतर्गत कुल 6 जगहों पर वाहन पार्किंग शुल्क की वसूली की जा रही थी– (1) थाना चौक बस/टैक्सी पड़ाव (2) बेतिया रोड चीनी मिल/बस/ टैक्सी पड़ाव (3) छपरा बहास रोड/बस/ टैक्सी पड़ाव (4) मंझौलिया रोड देवान चौक के सामने (5) बाजार रोड सी–टू कार्यालय के समीप (6) छपवा रोड बंगरा गुमटी के पास /बस/ टैक्सी पड़ाव। इन सभी जगहों की बंदोबस्ती अलग–अलग न करके एक साथ की जा रही थी। वर्ष 2013–14 में डाक की सुरक्षित जमा राशि 542190.00 थी तथा श्री ज्वाला कुमार सिंह के नाम से कुल रू0 2151000.00 में बंदोबस्ती की गयी थी। वर्ष 2014–15 में सुरक्षित जमा राशि का निर्धारण करते वक्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि पिछले तीन वर्षों की बंदोबस्ती की औसत राशि में 10 प्रतिशत की कमी कर सुरक्षित राशि का निर्धारण किया जाय। जबकि नियमानुसार पिछले तीन वर्षों की बंदोबस्ती राशि के औसत में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सुरक्षित राशि का निर्धारण किया जाना चाहिए था। इस कारण से रू0 755553.00 के स्थान पर सुरक्षित राशि 618180.00 रू0 निर्धारित की गयी थी। वर्ष 2014–15 में श्री विश्वनाथ कुंअर साकिन के नाम से रू0 618301.00 में बंदोबस्ती की गयी थी। वर्ष 2015–16 में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2014–15 की सुरक्षित राशि को ही वर्ष 2015–16 में सुरक्षित राशि मान लिया जाय। जबकि पिछले तीन वर्षों की

बंदोबस्ती की औसत राशि को 10 प्रतिशत बढ़ाने पर सुरक्षित राशि 1196140.00 रू0 होना चाहिए था। अर्थात 1196140.00 रू0 के स्थान पर सुरक्षित जमा 927270.00 रू0 रखा गया। वर्ष 2015–16 में श्री सुनील कुमार कुअॅर के नाम से रू0 931000.00 में बदोबस्ती की गयी थी जिसमें से 465500.00 की राशि श्री सुनील कुमार कुअॅर के द्वारा नगर पंचायत में जमा किया गया था। अर्थात शेष राशि ₹ 465500.00 (931000– 465500) जमा नहीं किया गया।

अंकेक्षण टिप्पणी

1. 6 जगहों पर वाहन पार्किंग की बंदोबस्ती अलग– अलग न करके एक ही साथ किया गया था।
2. वर्ष 2014–15 में सुरक्षित राशि का निर्धारण पिछले तीन वर्षों की औसत बंदोबस्ती राशि में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी करके करने के स्थान पर 10 प्रतिशत घटाकर किया गया था। ऐसा सरकार के किस पत्र अथवा दिशा निर्देश के आधार पर किया गया था अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया। ऐसा किए जाने के कारण नगर पंचायत को ₹ 137252.00 (755553– 618301) के संभावित राजस्व की क्षति हुई।
3. वर्ष 2014–15 में श्री सुनील कुमार कुअॅर के नाम से रू0 618301.00 में बंदोबस्ती की गयी थी । संचिका के जॉच में पाया गया कि बंदोबस्तीधारी के द्वारा सिर्फ रू0 154575.00 ही जमा किया गया था। शेष राशि ₹ 463726.00 (618301–154575) नगर पंचायत कोष में जमा नहीं किया गया था।
4. वर्ष 2015–16 में किस आधार पर वर्ष 2014–15 की सुरक्षित राशि को ही सुरक्षित राशि घोषित कर दिया गया। इस कारण से नगर पंचायत को ₹ 268870.00 (1196140– 927270) के संभावित राजस्व की क्षति हुई।
5. वर्ष 2015–16 में श्री सुनील कुमार कुअॅर के नाम से ₹ 931000.00 में बदोबस्ती की गयी थी जिसमें से ₹ 465500.00 की राशि श्री सुनील कुमार कुंअॅर के द्वारा नगर पंचायत में जमा किया गया था। अर्थात शेष राशि ₹ 465500.00 (931000– 465500) जमा नहीं किया गया।

उपरोक्त आपतियों के जवाब में कहा गया कि अंकेक्षण में सुझाए गए बिन्दुओं का भविष्य में ध्यान रखा जाएगा एवं बकाया राशि की वसूली की जाएगी।

जवाब संतोषजनक नहीं है। अतः कुल ₹ 1335348.00 (137252+ 463726 +268870 +465500) की राशि संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूलनीय है।

<u>कंडिका 3(ख) मुद्रांक शुल्क की वसूली नहीं रू0 111009/–</u>

मुख्य सचिव, बिहार सरकार के पत्रांक 1920/नि0/मु0स0 दिनांक 14.08.2002 एवं सचिव सह महानिरीक्षक, पंजीयन बिहार के पत्रांक 549/13.03.2005 के निर्देशानुसार सैरातों की बन्दोबस्ती किए जाने की स्थिति में बंदोबस्ती राशि का 3 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क की राशि की वसूली मुद्रांक के रूप में कर उस पर एकरारनामा किया जाना था। परंतु सैरात बंदोबस्ती की संचिका की जॉच में पाया गया कि कई सैरातों की बंदोबस्ती में बंदोबस्तीधारियों से राशि की कम/नहीं वसूली की गयी थी। विवरण निम्नवत है–

क्रम सं0	सैरात का नाम	बंदोबस्ती की राशि	जमा मुद्रांक शुल्क	बकाया मुद्रांक शुल्क
		2013–14		
1	जीप मोटर वाहन/गाड़ी वाहन पार्किंग बंदोबस्ती	2151000	शून्य	64530
		2014–15		
1	जीप मोटर वाहन/गाड़ी वाहन पार्किंग बंदोबस्ती	618301	शून्य	18549
		2015–16		
1	जीप मोटर वाहन/गाड़ी वाहन पार्किंग बंदोबस्ती	931000	शून्य	27930
			कुल	111009/–

अंकेक्षण टिप्पणी

1. मुद्रांक शुल्क के रूप में 111009.00 की राशि वसूल नहीं किया गया था।

आपत्ति के जवाब में कहा गया कि बकाया मुद्रांक शुल्क की वसूली की जाएगी एवं भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा। अतः रू0 111009.00 की राशि की वसूली की जाय एवं इसकी सूचना अंकेक्षण कार्यालय को दी जाय।

कंडिका 4(क) मुख्य (भवन) कर की बकाया राशि ₹ 4.20 लाख

नगर पंचायत सुगौली के द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत विवरणी के अनुसार दिनांक 31.03.16 को गृहकर ₹ 420000.00 बकाया था।

आपत्ति के जवाब में कहा गया कि राशि की वसूली हेतु कार्रवाई की जाएगी। अतः ₹ 420000.00 की राशि वसूलनीय है।

कंडिका 4(ख) सरकारी भवनों पर बकाया किराया ₹ 35.20 लाख

नगर पंचायत सुगौली के द्वारा उपलब्ध विवरणी के अनुसार नगर पंचायत में अवस्थित सरकारी भवनों पर कुल ₹ 3520387.00 की राशि किराए के रूप में बकाया था।

आपति के जवाब में कहा गया कि राशि की वसूली हेतु कार्रवाई की जाएगी। अतः ₹ 3520387.00 की वसूली यथाशीघ्र की जाय एवं इसकी सूचना अंकेक्षण कार्यालय को दी जाय।

कंडिका 5 योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितताएँ

(क) योजना सं0 18/15–16 (चतुर्थ राज वित आयोग)

योजना का नामः– वार्ड सं0 20 में गंगा साह के घर से हैदर मियाँ के घर होते हुए अहमद मियाँ की ओर पी0 सी0 सी0 सड़क निर्माण तथा नाला निर्माण।

प्राक्कलित राशिः– रू0 749800/–

अभिकर्ता का नामः– श्री ईशराक अहमद, कनिय अभियन्ता।

कनिय अभिन्यता का नामः– श्री ईशराक अहमद

कार्यादेशः– पत्रांक 550 एवं दिनांक 12.11.15

कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथिः– अंकित नहीं।

122

कार्य पूर्ण होने की तिथिः–19.11.15

कार्य मूल्यः– रू0 747359/–(मापी पुस्तिका के अनुसार)

योजना पर व्ययः– रू 747359/–

मस्टर रॉलः– रू0 101934/–

अभिश्रव :– उपलब्ध नहीं

रायल्टीः– रू0 12844/–

वैट :– रू0 37367

लेखा परीक्षा आपतियाँः–

1 मापी पुस्तिका एवं प्राक्कलन के जाँच में पाया गया कि प्राक्कलन में ढुलाई के लिए किये गये भुगतान पर 10 प्रतिशत की दर से सी0पी0 (CP) की कटौती किये जाने के प्रावधान के बावजूद भी कटौती नहीं की गयी, जिसके कारण अभिकर्ता को अधिक भुगतान हुआ। विवरण निम्न हैः–

ढुलाई पर व्यय :– ₹ 267159/–

सी0 पी0 कटौती – ₹ 267159 x 10% = ₹ 26716/-

आपति के जवाब में कहा गया कि जॉचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

2 भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के सितम्बर 1996 की अधिसूचना शीर्षक 'भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के तदनुसार बिहार सरकार ने असाधारण गजंट अधिसूचना सं0 4/एफ 1 –302/2006, श्र0 नि0 –865 दिनांक 18.08.2008 द्वारा श्रम उपकर लागू किया। इसके अनुसार सभी सरकारी विभागों को निर्माण की लागत का एक प्रतिषत श्रम उपकर विपत्रों से कटौती कर 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड' को निप्रेषित करने का प्रावधान है।

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– मु0 नि0 (पथ) – 38(अनु) पटना/दिनांक– 13/05/10 के अनुसार सभी सरकारी विभागों में कराये जाने वाले योजनाओं के प्राक्कलन के सृजन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक मद के दर में वर्णित सेस हेतु 1% (एक प्रतिशत) की राशि का अतिरिक्त प्रावधान श्रमिक कल्याण के लिए करते हुए विष्लेशण करना है।

परन्तु परन्तु उपर्युक्त योजना में श्रम अधिशेष की कटौती नहीं की गयी। विवरण निम्न हैः–

योजना पर व्यय किया गया राशि :– रू0 747359/–

श्रम अधिशेष की राशि :– 747359 को 1 प्रतिशत = रू0 7473/–

आपति के जवाब में कहा गया कि जानकारी के अभाव में श्रम उपकर की कटौती नहीं की गयी थी। भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा।

3 योजना अभिलेख में कोई अभिश्रव नहीं पाया गया। अतः लेखापरीक्षा में बताया जाय कि किस आधार पर अभिश्रव के बिना अंतिम भुगतान किया गया।

आपति के जवाब में कहा गया कि अभिश्रव अभिकर्ता के द्वारा दिया गया था जो भूलवश अन्य संचिका में लग गया होगा। खोज कर दिखा दिया जाएगा ।

4 उपर्युक्त योजना में कनीय अभियन्ता को ही अभिकर्ता बनाया गया था। जबकि पब्लिक वर्क्स नियम के अनुसार क0 अभियन्ता एवं अभिकर्ता एक ही व्यक्ति नहीं होगा।

आपति के जवाब में कहा गया कि कर्मियों की कमी के कारण कनीय अभियंता को ही अभिकर्ता बनाया गया था।

अतः कुल ₹ 34189.00 (26716+ 7473) वसूलनीय है तथा उपरोक्त आपतियों के निराकरण होने तक इस योजना में व्यय की गयी शेष राशि ₹ 713170.00 (747359– 34189) की राशि अंकेक्षण आपति के अधीन रखी जाती है ।

(ख) योजना के कियान्वयन में अनियमिताएँ

लेखापरीक्षा में प्रस्तुत योजना अभिलेखों में से निम्नलिखित योजना अभिलेखों का नमूना जाँच किया गयाः–

कम.सं0	योजना सं0	मद	योजना का नाम	प्रा0 राशि	मापी की राशि	योजना पर व्यय की गयी राशि	ढुलाई पर किया गया व्यय	अभिकर्ता का नाम
1	3/15–16	पेशाकर	पी0सी0सी0 कार्य	360000	360000	360200	121928	श्री अजय शंकर, क0 अभि0
2	2/15–16	पेशाकर	पी0सी0सी0 कार्य	334500	334461	334461	110164	श्री अजय शंकर, क0 अभि0
3	4/15–16	पेशाकर	पी0सी0सी0 कार्य	747200	747164	747164	144457	श्री अजय शंकर, क0 अभि0
कुल योग						1441825	376549	

लेखापरीक्षा आपतियाँः–

1 उपर्युक्त योजनाओं में कनीय अभियन्ता को ही अभिकर्ता बनाया गया था। जबकि पब्लिक वर्क्स नियम के अनुसार क0 अभियन्ता एवं अभिकर्ता एक ही व्यक्ति नहीं होगा।

आपति के जवाब में कहा गया कि कर्मियों के कमी के कारण कनीय अभियंता को ही अभिकर्ता बनाया गया। इन योजनाओं का सुपर चेक सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता से कराया गया था।

2 उपर्युक्त योजनाओं के मापी पुस्तिकाओं के जाँच में पाया गया कि ढुलाई के लिए किये गये भुगतान पर 10 प्रतिशत की दर से सी0 पी0 (CP) की कटौती नहीं किया गया। जबकि इसी वर्ष एवं इसी मद के एक अन्य योनजा, योजना सं0 01/15–16 में ढुलाई के लिए किये गये भुगतान पर 10 प्रतिशत की दर से सी0 पी0 (CP) की कटौती किया गया। ध्यातव्य हो कि उपर्युक्त योजना एवं योजना सं0 01/15–16 का प्राक्कलन समान दर पर तैयार किया गया था। सी0पी0 की कटौती नहीं किये जाने के कारण अभिकर्ता को अधिक भुगतान हुआ। विवरण निम्न हैः–

120

उपर्युक्त योजनाओं में ढुलाई पर किया गया व्यय – रू0 367549/–

सी0 पी0 कटौती की राशिः– 367549 का 10 प्रतिशत = रू0 36755/–

ढुलाई के लिए किये गये भुगतान पर सी0 पी0 की कटौती नही किया गया था।

आपति के जवाब में कहा गया कि जॉचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अतः जाँचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई करते हुए उपरोक्त राशि की वसूली की जाय।

3. भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के सितम्बर 1996 की अधिसूचना शीर्षक 'भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के तदनुसार बिहार सरकार ने असाधारण गजट अधिसूचना सं0 4/एफ 1 –302/2006, श्र0नि0 –865 दिनांक 18.08.2008 द्वारा श्रम उपकर लागू किया। इसके अनुसार सभी सरकारी बिभागों को निर्माण की लागत का एक प्रतिशत श्रम उपकर विपत्रों से कटौती कर 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड' को निप्रेषित करने का प्रावधान है।

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– मु0 नि0 (पथ) – 38(अनु) पटना/दिनांक– 13/05/10 के अनुसार सभी सरकारी विभागों मे कराये जानेवाले योजनाओं के प्राक्कलन के सृजन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक मद के दर में वर्णित सेस हेतु 1% (एक प्रतिशत) की राशि का अतिरिक्त प्रावधान श्रमिक कल्याण के लिये करते हुए विष्लेशण करना है।

परन्तु उपर्युक्त योजनाओं में श्रम अधिशेष की कटौती नहीं किया गया। विवरण निम्न हैः–

उपर्यूक्त योजनाओं पर व्यय किया गया राशि :– रू0 1441825/–

श्रम अधिशेष की राशि :– 1441825 को 1 प्रतिशत = रू0 14418/–

आपति के जवाब में कहा गया कि जानकारी के अभाव में श्रम सेस की कटौती नहीं की गयी थी। भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा।

अतः कुल रू0 51173.00 (36755+14418) संबंधित जिम्मेवार व्यकितयों से वसूलनीय है ।

(ग) योजनाओं के विलम्ब से कियान्वयन के बाबजूद विलम्ब शुल्क की कटौती नहीं ₹0.83 लाख

लोक निमार्ण विभाग के फार्म एफ–2 के क्लॉज –2 के अनुसार संवेदक अगर समय पर कार्य पूर्ण नहीं करता है तो प्राक्कलित राशि का 1/2 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से क्षतिपूर्ति शुल्क की कटौती नहीं की जाएगी जो अधिकतम प्राक्कलित राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नही होगा। योजनाओ के नमूना जॉच में पाया गया कि संवेदक द्वारा न तो समयावृद्धी का आवेदन दिया गया था न ही क्षतिपूर्ति शुल्क की कटौती की गयी थी। विवरण निम्नवत है–

क्र0	मद	योजना संख्या/वर्ष	प्राक्कलित राशि	संवेदक/अभिकर्त्ता का नाम	कार्यादेश की तिथि	कार्य पूर्ण करने की अवधि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने में विलंब	क्षतिपूर्ति शुल्क
	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	बी0आर0जी0एफ0	09/14–15	202500	श्याम शर्मा	12.8.14	2 माह	3.11.14	21 दिन	20250
2	बी0आर0जी0एफ0	10/14–15	30000	सुनीता देवी	12.8.14	2 माह	7.5.15	205 दिन	3000
3	बी0आर0जी0एफ0	16/14–15	99900	जगदीश कुमार खंडेवाल	12.08.14	2 माह	25.11.14	43 दिन	9990
4	बी0आर0जी0एफ0	17/14–15	498800	जगदीश कुमार खंडेवाल	12.08.14	2 माह	07.05.15	205 दिन	49880
कुल									83120

अंकेक्षण टिप्पणी

1. क्षतिपूर्ति शुल्क के रूप में ₹ 83120.00 की कटौती नहीं किया गया था।

   आपति के जवाब में कहा गया कि जानकारी के अभाव में विलंब शुल्क की कटौती नहीं की गयी थी। भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा। अतः ₹ 83120.00 की राशि संबंधित जिम्मेवार व्यकितयों से वसूलनीय है।

<u>कंडिका 6 संचार मोबाइल टावरों का अपंजीकृत रहना एवं ₹ 25.80 लाख बकाया रहना</u>

बिहार सरकार द्वारा संचार मोबाइल टावर एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 दि0 08–10–12 को अधिसूचित किया गया है।

उपयुर्क्त नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार नगर पंचायत में पजीकरण शुल्क ₹ 30000/– प्रति टावर एवं नवीकरण शुल्क ₹ 8000/– प्रतिवर्ष प्रति टावर निर्धारित किया गया है। नियम 6(2) के अनुसार उपयुर्क्त नियम के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाइल टावरों को उपवर्णित पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा तथा नवीकरण शुल्क टावर स्थापित करने के समय से पूर्ण वर्षो की संख्या के आधार पर लिया जाएगा। साथ ही टावर पर लगाए गए प्रत्येक एंटिना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण फीस तथा नवीकरण फीस अतिरिक्त रूप से देने का प्रावधान है।

नगर पंचायत द्वारा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत विवरणी के अनुसार नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत 09 टावर अधिष्ठिापित थे जिसमें से 09 टावर उपयुर्क्त नियमावली के अनुसार नगर निकाय से अपंजीकृत थे एवं उपर्युक्त नियमावली के अनुसार अधिष्ठापित मोबाइल टावरों पर रू 2579848/– शुल्क बकाया था। विवरण निम्नवत है –

क0सं0	टावर का नाम	स्थान का नाम	बकाया राशि
1	बी0एस0एन0एल0	–	347856
2	एयरटेल	धनही, वार्ड नं0 13	274656
3	एयरटेल	विशुनपुरवा, वार्ड नं0 1	274656
4	एयरटेल	सुगौली बाजार, वार्ड नं0 8	274656
5	ए0टी0सी0 टेलीकाम	सुगौली बाजार	38000
6	टाटा इंडिकाम	सुगौली, वार्ड नं0 6	347856
7	रिलांयस	सुगौली, वार्ड नं0 8	347856
8	एयरसेल	सिसवनिया टोला, वार्ड नं0 6	326456
9	आइडिया	विशुनपुरवा, वार्ड नं0 3	347856
कुल			2579848

अंकेक्षण टिप्पणी

1. नगर पंचायत में अवस्थि मोबाइल टावरों से रू0 2579848.00 की वसूली नहीं किया गया था।

आपति के जवाब में कहा गया कि राशि की वसूली की कार्रवाई की जा रही है। अतः ₹2579848.00 की वसूली यथाशीघ्र की जाय एवं इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को दी जाय।

कंडिका 7 आयकर की कटौती नहीं किया जाना

आयकर अधिनियम–1961 के धारा–194(सी) के अनुसार आपूर्ति करने वाले संवेदक से कुल 2.26 प्रतिशत की दर से आयकर की कटौती किया जाना चाहिए था लेकिन डस्टबीन– 240 लीटर, रोटोमोल्ड के कय संचिका के जॉच में पाया गया कि ऐसा नहीं किया गया जिसके कारण कुल राशि ₹ 57469.00 आपूर्तिकर्ता को अधिक भुगतान किया गया जो वसूलनीय है।

क्रम सं0	बील सं0	दिनांक	सामग्री	मात्रा	भुगतान की गयी राशि	आपूर्तिकर्ता
1	RE/SINTEX/2015-16/011	20.05.15	हाउस होल्ड बीन	200	2542857	रिलायबल इन्टरप्राइजेज, मीठापुर, पटना

उपर्युक्त भुगतान पर आयकर की कटौती नहीं किये जाने पर कुल रू0 57469/–(2542857का 2.26 प्रतिशत) का अधिक भुगतान हुआ।

आपति के जवाब में कहा गया कि जानकारी के अभाव में आयकर की कटौती नहीं की गयी थी। आगे से इसका ध्यान रखा जाएगा। अतः रू0 57469.00 की वसूली संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से कर इसकी सूचना अंकेक्षण कार्यालय को दी जाय।

कंडिका 8 राशि का अवरूद्धीकरण (₹ 61.40 लाख)

नगर पंचायत सुगौली के लेखाओं/अभिलेखों की लेखा परीक्षा के नमूना जॉच के दौरान विभिन्न रोकड़ पंजियों के अंतशेष के जॉच के कम में पाया गया कि ऐसी अनेकों रोकड पंजी संधारित थी जिसमें बरसों से कोई लेन– देन नहीं हो रहा था। दिनांक 31.03.2016 को कुल 6140328.00 रू0 रोकड़ पंजी में अंतशेष के रूप में दिखाया जा रहा था जिसका विवरण निम्नलिखित है:–

क0सं0	रोकड पंजी का नाम	अंतशेष	अंतिम आय– व्यय की तिथि
1.	प्रशासनिक भवन	2204066.00	31.3.13
2.	नाला निर्माण	1415889.00	7.8.14
3.	आइ0डी0एस0एम0टी0	17478.00	1.7.09
4.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	2502895.00	12.8.14
	कुल	6140328.00	

इस प्रकार, 31.03.2016 तक कुल ₹ 6140328.00 निष्प्रयोज्य रोकड़ पंजी में अंतशेष के रूप में पड़ा था। रोकड पंजी में अनावश्यक रूप से पडे रहने से राशि अवरोधित रही। अंतशेष की राशि पर कार्यालय द्वारा विभिन्न बैकों से सिर्फ सूद के रूप में राशि अर्जित की जा रही थी। सरकार द्वारा प्रदान

की गयी राशि का उद्येश्य विभिन्न प्रकार के योजनाओं से समाज को लाभान्वित करना था। इससे स्पष्ट है कि राशि के व्यवहार नहीं होने से समाज कल्याण उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी।

₹ 6140328.00 लंबे समय से प्रयोग नहीं होने पर सरकार को वापस कर रोकड़ बही/खाता बंद कर दिया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

आपति के जवाब में कहा गया कि इस संबंध में सरकार से दिशानिर्देश प्राप्त कर राशि को संबंधित शीर्ष में जमा करा दिया जाएगा। अतः राशियों को संबंधित शीर्ष में जमा करवाने की कार्रवाई यथाशीघ्र की जाय एवं इसकी सूचना अंकेक्षण कार्यालय को प्रेषित किया जाय।

कंडिका 9 अग्रिम पंजी के संधारण में त्रुटियॉ

अग्रिम पंजी के जॉच में निम्नलिखित त्रुटियॉ पायी गयीः–

(क) अग्रिम पंजी का संधारण विहित प्रपत्र में नहीं किया गया था।

(ख) अग्रिम पंजी का संधारण वर्षवार नहीं पाया गया।

(ग) वर्ष के प्रारम्भ में तथा अंत में बकाया अग्रिमों को दर्शाया नहीं गया था।

(घ) बकाया अग्रिमों की गणना नहीं की गयी थी।

(ड़) अग्रिम पंजी में सक्षम पदाधिकारी/सहायक का हस्ताक्षर (कुछ मामलों को छोड़कर) नहीं पाया गया।

(च) अग्रिम पंजी का किसी सक्षम पदाधिकारी द्वारा समय– समय पर जॉच नहीं किया गया था।

(छ) अग्रिम पंजी का संधारण अपूर्ण था।

उपरोक्त परिस्थितयों में लेखा परीक्षा अवधि में बकाया अग्रिमों की वास्तविक जॉच नहीं की जा सकी।

फिर भी, उपलब्ध कराये गये अग्रिम रोकड़ बही एवं अग्रिम पंजी के आधार पर असमायोजित अग्रिमों की राशि ₹ 2729382.00 थी।

आपति के जवाब में कहा गया कि अंकेक्षण में सुझाए गए बिन्दुओं का भविष्य में ध्यान रखा जाएगा तथा असमायोजित अग्रिम का समायोजन कर लिया जाएगा। अतः ₹ 2729382.00 के अग्रिम का समयोजन यथाशीघ्र किया जाय एवं इसकी सूचना अंकेक्षण कार्यालय को दिया जाय।

भाग– III

1. स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल

उपलब्ध सूची के अनुसार नगर पंचायत में कुल स्वीकृत 09 पद के बिरूद्ध मात्र 4 कर्मचारी कार्यरत थे, जो स्वीकृत पद का 44 प्रतिशत था। कर्मियों के कमी के कारण लेखाओं के संधारण, सफाई, कर वसूली आदि कार्य प्रभावित पाया गया। नगर पंचायत के विकास के लिए कर्मियों की संख्या में वृद्धि हेतु गंभीर प्रयास की आवश्यकता है।

(116)

आपति के जबाव में कहा गया कि इस संबंध में सरकार से पत्राचार कर रिक्त पदों को भरने की कारवाई की जाएगी ।

2. द्वि– प्रविष्टि प्रणाली में लेखाओं का संधारण नहीं किया जाना

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 4 के अनुसार सभी नगरपालिकाओं को अपने लेखा पुस्तकों को द्वि–प्रविष्टीय लेखांकन प्रणाली (Double entry system) के अनुसार संभूति लेखांकन प्रणाली (Accrual accounting system) का अनुसरण करते हुए रखेगी।

रोकड़ वही के जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा अपने लेखा पुस्तकों का संधारण द्वि–प्रविष्टीय लेखांकन प्रणाली (Double entry system) के अनुसार नही किया गया।

उपर्यूक्त नियमावली के नियम 4 का अनुपालन नहीं किया जा रहा था।

आपति के जवाब में कहा गया कि लेखापाल द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया गया है। वर्ष 2016–17 से द्विप्रविष्टि प्रणाली में लेखाओं का संधारण कर लिया जाएगा। अतः यथाशीघ्र लेखाओं का संधारण द्विप्रविष्टि प्रणाली में किया जाय तथा इसकी सूचना अंकेक्षण कायालय को दिया जाय।

3. आंतरिक अंकेक्षण

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 अथवा इसके नियमों में आतंरिक अंकेक्षण का प्रावधान किया गया है। साथ ही बिहार नगरपालिका लेखा (नियम, 1928 नियम 20 64, 73(क) इत्यादि) में यह उपबन्धित है कि आतंरिक जॉच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी, अथवा अन्य जिम्मेवार अधिकारी, जिसे प्राधिकृत किया जाये उसके द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार की जॉच की व्यवस्था उचित नियंत्रण, अभिलेखों के संधारण अथवा किसी भी संभावित वित्तीय अनियमितता को दूर करने हेतु की गई है।

आंतरिक अंकेक्षण की व्यवस्था नगर पंचायत में नहीं किया गया था।

आपति के जवाब में कहा गया कि भविष्य में इस पर ध्यान दिया जाएगा। अतः आंतरिक अंकेक्षण की व्यवस्था यथाशीघ्र किया जाय एवं इसकी सूचना अंकेक्षण कार्यालय को दी जाय।

4. कैशियर कैशबुक संधारित नहीं

नगर पंचायत में कैशियर का कैशबुक संधारित नहीं किया जा रहा था जबकि म्यूनिसिपल एकांउटस रूल्स 1928 के नियम 15 के अनुसार फार्म III में कैशियर कैशबुक संधारित किया जाना आवश्यक है।

नगर पंचायत में कैशियर कैशबुक संधारित नहीं किया गया था।

आपति के जवाब में कहा गया कि कैशियर कैशबुक संधारित कर लिया जाएगा। अतः कैशियर कैशबुक का संधारण यथाशीघ्र किया जाय एवं इसकी सूचना अंकेक्षण कार्यालय को दी जाय।

5. कार्यपालक से वार्तालाप

लेखा परीक्षा के दौरान उठाए गए आपतियों पर समय– समय पर एवं लेखापरीक्षा के अंत में दिनांक 1.6.16 को चर्चा की गयी ।

6. लेखा परीक्षा परिणाम

1. अंकेक्षण के दौरान वसूल की गयी राशि– शून्य
2. वसूली हेतु सुझायी गयी राशि– 10194460.00
3. आपति के अंतर्गत रखी गयी राशि– 713170.00

7. सामान्य अभ्युक्तियॉ

नगर पंचायत द्वारा लेखाओ का संधारण संतोषप्रद नहीं था। अनेक मुख्य अभिलेखों जैसे रोकड़पाल रोकड़ बही, मॉग एवं वसूली पंजी, अग्रिमपंजी ऋण विनियोग पंजी सें संबंधित पंजी का संधारण नही किया गया था। करों की वसूली की स्थिति काफी दयनीय थी। अतएव लेखाओ को उचित ढंग से संधरित किए जाये एवं करों की वसूली में वांछित सुधार किया जाय।

–हस्ता0–
राजीव कुमार– 2
(स0ले0प0अ0)
–अनुमोदित–
उप महालेखाकार (एस0 एस0 1)
–सह–
स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार